न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 125/2018 (223 आरटीए)/भरतपुर
जीसीएमएस नम्बर :– 2018/00224

उनवान

1. मानसिंह
2. सुन्दरसिंह

पुत्रगण चिरंजी जाति ठाकुर निवासी ग्राम पीपला तहसील व जिला भरतपुर

.........अपीलार्थी

बनाम

1. नरोत्तम पुत्र चिरंजी
2. मीरादेवी पत्नी कैलाशसिंह
3. ऊषारानी पत्नी गोविन्द सिंह

जाति ठाकुर निवासी ग्राम पीपला तहसील व जिला भरतपुर

4. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार भरतपुर।

.... **उत्तरवादीगण**

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध मु.स. 78/04 बउनवानी मानसिंह बनाम नरोत्तम आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.05.2018 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट्स श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेण्ट अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 09.07.2025

1. अपीलांट ने यह अपील 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर, बउनवानी मानसिंह बनाम नरोत्तम आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.05.2018 दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट के विरुद्ध पेश की गई है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उत्तरवादी प्रतिवादी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का दावा इस आशय से पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के मध्य उनके हिस्सा 1/3 प्रत्येक के अनुसार विधि अनुरुप तकसीम की जावे। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के हिस्सों के कुर्रा पृथक–पृथक कायम किये जावे तथा उन पर लगान वितरित की

जावे। उक्त दावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.05.2018 को फाईनल डिक्री से इन्कार करते हुये दावा वादीगण खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री महाराज सिंह डागुर ने वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं रेस्पोडेन्ट बाबजूद तामील अनुपस्थित रहें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस के अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 256/0.22, 290/0.22, 291/0.28, 313/0.17, 314/0.12, 315/0.15, 1053/0.10, 1054/0.17, 1062/0.12, 1063/0.20, 1064/0.20, 1067/0.33, 1068/0.25, 1069/0.21, 1070/0.11, 1088/0.15, 1978/0.19, 1979/0.11, 1983/0.15 कुल किता 20 रकबा 3.56 वाके ग्राम पीपला (प्रथम) एवं खसरा नम्बर 2056/0.07, 2057/0.01, 2058/0.09, 2059/0.05, 2060/0.04, 2068/0.31, 2069/0.19, 2070/0.20, 2077/0.25, 2247/0.19, 2250/0.06, 2739/0.10, 3131/0.17, 3132/0.16, 3134/0.28, 3135/0.16 कुल किता 16 रकबा 2.27 हैक्टेयर वाके ग्राम पीपला द्वितीय तहसील व जिला भरतपुर के वादीगण समभाग 2/3 हिस्सा के एवं प्रतिवादी सं. एक 1/3 हिस्से के खातेदार काश्ताकर काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में दिनांक 06.06.2005 को प्राथमिक डिक्री पारित की गई एवं अन्तिम डिक्री पारित करने हेतु निरन्तर कुर्रे रिपोर्ट के लिए न्यायालय तहत द्वारा तहसीलदार भरतपुर को लिखा जा रहा था। प्रकरण में एक बार कुर्रा रिपोर्ट आ चूकी थी लेकिन उस पर पक्षकारों की सहमति नहीं बनी तो पुनः कुर्रे रिपोर्ट के लिए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में निरन्तर विचाराधीन रहा। अधीनस्थ न्यायालय ने अन्तिम डिक्री जारी करने की स्टेज पर दावा अपीलार्थी वादीगण खारिज करने में भारी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय का यह मानना कि एक खसरा नम्बर 1984/0.32 वाके ग्राम पीपला तहसील भरतपुर को दावे में सम्मलित नहीं किया गया इसलिए दावा काबिले खारिजी के है कतई गलत एवं विधि विरुद्ध है। प्राथमिक डिक्री के बाद दावा खारिज नहीं किया जा सकता है। उत्तरवादी/प्रतिवादीगण ने भी खसरा नम्बर 1984/0.32 के दावे में शामिल नहीं किये जाने में कोई आपत्ति अपने जबाबदावा में नहीं उठायी है। अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों के तर्क/आधारों (प्लीडिंग) से बाहर जाकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

खण्डनाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में भारी त्रुटि की है। अन्तिम डिक्री की स्टेज पर कोई तथ्य इस सम्बन्ध में आया कि कुछ शामलाती आराजी व सहखातेदार पक्षकार दावा में जोड़ने से रह गये है जो न्यायालय सुओमोटो आदेश 1 नियम 10(2) व आदेश 6 नियम 17 सीपीसी में आराजी व पक्षकारों को जोड़े जाने की अनुमति प्रदान कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय का यह मानना कि बिना उक्त खसरा नम्बर 1984/0.32 को दावे में जोड़े अन्तिम डिक्री पारित करना सम्भव नहीं है कतई गलत है क्योंकि प्रकरण में कुर्रे बने ही नहीं है इसलिए उक्त आराजी व पक्षकारों को शामिल करते हुए तहसीलदार को कुर्रे बनाये जाने हेतु लिखा जा सकता था लेकिन ऐसा न कर खण्डनाधीन निर्णय देने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटि की है। अपीलार्थी को कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया गया एवं ना ही प्रकरण को राजस्व लोक अदालत शिविर में रखें जाने हेतु कोई सूचना नहीं दी गई समस्त कार्यवाही एकतरफा की गई है। जिस नरोत्तम के हस्ताक्षर बनाये है उसके विरुद्ध 23.04.2003 में प्रकरण से पूर्व ही एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय गलत व निरस्तनीये है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी अपील बहस में अपने द्वारा अपील निर्धारित समयावधि से देरी से पेश करने पर निवेदन किया कि इस हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसमें कथन किया गया कि एकपक्षीय कार्यवाही होने से अपीलार्थी को अभी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की कोई जानकारी नहीं हो सकी है दिनांक 11.07.2018 को पटवारी हल्का के द्वारा इस निर्णय के सम्बन्ध में बतलाने पर अपीलार्थी ने इस तथ्य की जॉच करायी है तथा दिनांक 12.07.2018 को नकल निर्णय व डिक्री तहत लेने हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 17.07.2018 को अपीलार्थी को नकल निर्णय मिलने पर निर्णय तहत की अपीलार्थी को वास्तविक जानकारी हुई है जानकारी होने के दिन से अपील अपीलार्थी अन्दर अवधि पेश की जा रही है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर देरी को माफ करते हुये अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद सुमार फरमाई जावे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.05.2018 निरस्त किये जावे तथा दावा अपीलार्थी का पुनः नम्बर पर लिया जाकर उक्त पक्षकारों व आराजी खसरा नम्बर 1984/0.32 को जोड़ा जाकर सुनवाई की जावे तथा कुर्रे प्राप्त कर अन्तिम डिक्री पारित किये जाने का आदेश दिया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

6. अपीलान्ट द्वारा हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 19.05.2018 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 20.08.2018 को पेश की गई है जो अन्दर मियाद है।

7. चूंकि हस्तगत अपील निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं हुई है अतः सर्वप्रथम हम मियाद के बिन्दू पर विचार करना उचित पाते हैं। अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह जाहिर होता है कि अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों के विरुद्ध प्रत्यर्थीगण ने न तो कोई जबाब पेश किया है एवं न ही काउन्टर शपथ–पत्र पेश किया है। विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में यह अवधारित किया गया है कि एक गुणवत्तायुक्त प्रकरण को केवल मियाद के बिन्दु पर निस्तारित नहीं किया जावे। तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक बिन्दु न्याय निर्णयन में सहायक होने चाहिए बाधक नहीं। अतः जब प्रकरण गुणवत्ताविहीन नहीं हो, केवल मियाद या समय सीमा के बिन्दु पर प्रकरण अन्तिम रुप से निर्णित नहीं करना चाहिए, गुणावगुणों पर भी एक नजर आवश्यक डाल लेनी चाहिए। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना उचित है। अतः अपील में सारभूत कानूनी बिन्दु निहित होने से अपील अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम 1963 में वर्णित तथ्यों के मध्यनजर जानकारी से अपील पेश करना मानते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

8. अपीलान्ट ने अपनी अपील में मुख्य रुप से निम्न आधार/तर्क लिए है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में दिनांक 06.06.2005 को प्राथमिक डिक्री पारित की गई एवं अन्तिम डिक्री पारित करने हेतु निरन्तर कुर्रे रिपोर्ट के लिए न्यायालय तहत द्वारा तहसीलदार भरतपुर को लिखा जा रहा था। प्रकरण में एक बार कुर्रा रिपोर्ट आ चूकी थी लेकिन उस पर पक्षकारों की सहमति नहीं बनी तो पुनः कुर्रे रिपोर्ट के लिए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में निरन्तर विचाराधीन रहा। अधीनस्थ न्यायालय ने अन्तिम डिक्री जारी करने की स्टेज पर दावा अपीलार्थी वादीगण खारिज करने में भारी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय का यह मानना कि एक खसरा नम्बर 1984/0.32 वाके ग्राम पीपला तहसील भरतपुर को दावे में सम्मलित नहीं किया गया इसलिए दावा काबिले खारिजी के है कतई गलत तथा विधि विरुद्ध है। प्राथमिक डिक्री के बाद दावा खारिज नहीं किया जा सकता है। उत्तरवादी/प्रतिवादीगण ने भी खसरा नम्बर 1984/0.32 के दावे में शामिल नहीं किये जाने में कोई आपत्ति अपने

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

जबाबदावा में नहीं उठायी है। अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों के तर्क/आधारों से बाहर जाकर खण्डनाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में भारी त्रुटि की है। अन्तिम डिक्री की स्टेज पर कोई तथ्य इस सम्बन्ध में आया कि कुछ शामलाती आराजी व सहखातेदार पक्षकार दावा में जोड़ने से रह गये है जो न्यायालय सुओमोटो आदेश 1 नियम 10(2) व आदेश 6 नियम 17 सीपीसी में आराजी व पक्षकारों को जोड़े जाने की अनुमति प्रदान कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय का यह मानना क विना उक्त खसरा नम्बर 1984/0.32 को दावे में जोड़े अन्तिम डिक्री पारित करना सम्भव नहीं है कतई गलत है क्योंकि प्रकरण में कुर्रे बने ही नहीं है इसलिए उक्त आराजी व पक्षकारों को शामिल करते हुए तहसीलदार को कुर्रे बनाये जाने हेतु लिखा जा सकता था लेकिन ऐसा न कर खण्डनाधीन निर्णय देने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटि की है। अपीलार्थी को कोई सुवाई का मौका नहीं दिया गया उन्हें प्रकरण को राजस्व लोक अदालत शिविर रखें जाने हेतु कोई सूचना नहीं दी गई समस्त कार्यवाही एकतरफा की गई है। जिस नरोत्तम के हस्ताक्षर बनाये है उसके विरुद्ध 23.04.2003 में प्रकरण से पूर्व से ही एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय गलत व निरस्तनीये है।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किए जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.06. 2005 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर आराजी खसरा नम्बर 256/0.22, 290/0.22, 291/0.28, 313/0.17, 314/0.12, 315/0.15, 1053/0.10, 1054/0.17, 1062/0.12, 1063/0.20, 1064/0.20, 1067/0.33, 1068/0.25, 1069/0.21, 1070/0.11, 1071/0.11, 1888/0.15, 1978/0.19, 1979/0.11, 1983/0.15 किता 20 रकबा 3.56 वाके ग्राम पीपला प्रथम तहसील भरतपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 256/0.22, 290/0.22, 291/0.28, 314/ 0.12 में वादीगण को 2/3 हिस्से का बहिस्सा बराबर तथा प्रतिवादी सं. 2 व 3 को 1/3 हिस्से का बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया है शेष आराजी खसरा नम्बर वाके ग्राम पीपला प्रथम में वादीगण 2/3 हिस्से के व हिस्सा बराबर व प्रतिवादी सं. एक 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया है। इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 2056/0.01, 2057/0.01, 2058/0.09, 2059/0.05, 2060/0.04, 2068/0.31,

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

2069/0.19, 2070/0.20, 2077/0.25, 2247/0.19, 2250/0.06, 2739/0.10, 3131/0.17, 3132/0.16, 3134/0.28, 3135/0.16 किता 16 रकबा 2.27 हैक्टेयर वाके ग्राम पीपला द्वितीय भरतपुर में वादीगण 2/3 हिस्से के बहिस्सा बराबर के तथा प्रतिवादी सं. एक 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया एवं कुर्रा रिपोर्ट दोनों पक्षों की उपस्थिति में तैयार करने हेतु तहसीलदार भरतपुर को निर्देशित किया। उसके उपरान्त पत्रावली में कुर्रा रिपोर्ट तैयार कर पेश की गयी एवं उस पर प्रतिवादी की तरफ से एतराज पेश हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.06.2007 को एतराज पर आदेश दिया कि पुनः कुर्रा रिपोर्ट तैयार कर भिजवाए। उसके उपरान्त पत्रावली कुर्रा रिपोर्ट प्राप्ति के इन्तजार में नियत रही। दिनांक 19.05.2018 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत में रखी गयी, जिस हेतु पक्षकारों को कोई नोटिस जारी नहीं किए गए। कुर्रा रिपोर्ट तहसीलदार भरतपुर को पेश करनी थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 19.05.2018 को यह अंकन किया कि ''पटवारी हल्का पीपला की रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त आराजी के अलावा उभयपक्षकारान की खसरा नम्बर 1984/0.32 भी है जो वादी अपने दावा में लेकर नहीं आए हैं। वादी ने इस आराजी की बाबत वाद पत्र में न तो कोई प्रार्थना की है और न राजस्व रिकार्ड संलग्न किया है। अर्थात वादी ने इस खसरा नम्बर को छिपाया गया है। सम्पूर्ण आराजी के उभयपक्ष खातेदार कृषक है। वादीगण अपने दावा को क्लीन हैण्ड से लेकर अदालत में नहीं आए है। सभी पक्षकारों के सहकृषक होने के कारण खसरा नम्बर 1984/0.32 को दावा में लाये बिना अन्तिम डिक्री किया जाना सम्भव नहीं है। अतः दावा वादीगण चलने योग्य नहीं होने से इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। नवीन दावा समस्त आराजी के विभाजन हेतु प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेगा।'' अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत में पत्रावली नियत कर पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट वादीगण का वाद खारिज कर दिया जो विधि सम्मत नहीं है। प्राथमिक डिक्री जारी करने के बाद केवल कुर्रा प्रस्ताव के आधार पर उभयपक्ष को कुर्रा प्रस्तावों पर सुना जाकर अन्तिम डिक्री पारित की जानी थी। अन्य कोई शामलाती खसरा नम्बर की भूमि दावे में शामिल नहीं की गयी तो उसे अब भी शामिल दावा किया जाकर उसका भी बटवाड़ा किया जा सकता है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त खसरा नम्बर 1984 रकबा 0.32 हैक्टेयर को उभयपक्ष की भूमि ही होना अंकित किया है। अतः न्यायहित में उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय में पेश वाद में खसरा नम्बर 1984 रकबा 0.32 हैक्टेयर जोड़कर यथोचित

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

संशोधन कर कुर्रे मंगवाये जाकर अन्तिम डिक्री पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश दिनांक 19.05.2018 अपास्त किया जाकर तद्नुसार निर्णय एवं डिक्री पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.05.2018 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि खसरा नम्बर 1984 रकबा 0.32 हैक्टेयर दावे में पूर्व से शामिल किए गए खसरा नम्बरान में जोड़ा जाकर यथोचित संशोधित नियमानुसार करके एवं कुर्रे प्रस्ताव प्राप्त कर उन पर उभयपक्ष को समुचित सुनकर अन्तिम डिक्री पारित करें।

11. निर्णय आज दिनांक 09.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।

13. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर